# -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 04.11.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा युवक की हत्या करने वाले उसके चचेरे भाई (मुख्य अभियुक्त) को किया गया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा बरामद।**
- **थाना तिंदवारी क्षेत्र के ग्राम खौड़ा में दिनांक 02.11.2025 को भैस के द्वारा नांद में चारा खा लेने के विवाद में चचेरे भाई ने फावड़े की जड़ से युवक के सिर पर मारकर गम्भीर रुप से कर दिया था घायल, जिसकी इलाज के दौरान हो गई थी मृत्यु।**

**विवरण**- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.11.2025 को थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा चचेरे भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना तिन्दवारी क्षेत्र के ग्राम खौड़ा में दिनांक 02.11.2025 की सुबह दो पारिवारिक पक्षों के बीच भैस के द्वारा नांद में चारा खा लेने के मामूली विवाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के युवक को फावड़े की जड़ से मारकर गम्भीर रुप से चोट पहुंचा दिया गया था जिसे परिजनों द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात मृतक की मां की तहरीर के पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 04.11.2025 को थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त उसके चचेरे भाई को थाना तिन्दवारी क्षेत्र के कालेज ढाबा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद कर लिया गया है।

**बरामदगी-**

- 01 फावड़ा (घटना में प्रयुक्त)

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अनीत उर्फ मुखिया पुत्र पुत्र बड़कू निवासी खौड़ा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

**पंजीकृत अभियोग-**

- मु0अ0सं0 265/25 धारा 105/352 बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्र0निरी0 थाना तिन्दवारी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार
3. उ0नि0 श्री शिवाजी मौर्य
4. उ0नि0 श्री पारसनाथ यादव
5. कां0 अभिनव सिंह